

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(5)लेखा/प्रमुवसं/पार्ट-III/2009-10/

दिनांक: .03.2017

### आदेश

प्रायः देखने में आया है कि विभिन्न अनियमिताओं/अदेय/अधिक भुगतानों एवं भण्डारों के भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए सामानों/राजकीय हानि आदि की वसूली के संबंध में महालेखाकार कार्यालय/निदेशक निरीक्षण विभाग तथा विभागीय ऑडिट जांच दलों द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित ऑडिट आक्षेपानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से समय पर वसूली संबंधी कार्यवाही नहीं की जाती है फलस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी राज्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं एवं ऑडिट आक्षेपों का निस्तारण नहीं हो पाता है।

वन विभाग की ऑडिट समिति वर्ष 2016-17 की द्वितीय बैठक दिनांक 28.02.2017 में इस बिन्दू को गंभीरता से लिया जाकर ऑडिट आक्षेपों में अंकित राशि की शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः समस्त कार्यालय अध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके कार्यालय के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों/निदेशालय निरीक्षण विभाग तथा विभागीय ऑडिट जांच दलों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित वसूली के संबंध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 171 व 172 के अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(HOFF)


राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ ( )लेखा/प्रमुवसं/2016-17/ 10687-727

दिनांक:- 14.3.17

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समस्त)।
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समस्त)।
3. मुख्य वन संरक्षक (समस्त)/कृ. समस्त उप वन संरक्षकों को प्रति पृष्ठांकित करावें।
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. परिपत्र/रक्षित पत्रावली लेखा शाखा।

  
वित्तीय सहायक  
वन विभाग  
राजस्थान, जयपुर